

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/ 86

रीवा दिनांक: 17-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

किस्तकुला मिशन वूमन्स इंग्लिस मीडियम महाविद्यालय
पतेरी, सतना (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(22) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिश्रम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -


क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-60सीट।
2	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-60सीट।
3	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-प्लेन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन-60सीट।
4	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-आधार पाठ्यक्रम, माइक्रोबायलाजी, बायोटेक्नालाजी, रसायनशास्त्र-60सीट।
5	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, अंग्रेजी, दर्शनशास्त्र, इतिहास-60सीट।
6	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय वर्ष (अतिरिक्त विषय) भौतिक, गणित-120सीट।
7	बी.काम. आनर्स प्रथम, द्वितीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-120सीट।
8	एम.काम. पूर्वाह्न-60सीट।

नोट -

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय में बी.एससी., बी.काम. की पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करें।


उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार


कुलसचिव 15/02/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

- उप कुलसचिव - परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
- सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/ 87

रीवा दिनांक : 21-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
महात्मा गांधी महाविद्यालय
बनौली, शाहपुर, बैदन, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(42) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - सभी अनिवार्य विषय एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन, टैक्शेसन-60-60-60सीट।
2	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - समस्त अनिवार्य विषय-60-60-60सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करे।
2. कम्प्यूटर प्रयोगशाला को और समृद्ध करे।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करे अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव 15/02/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/ 88

रीवा दिनांक : 21-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
विद्स कालेज आफ एजुकेशन
सतना (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(24) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. पाठ्यक्रम (दो वर्षीय)-100सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/89

रीवा दिनांक : 21-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
यमुना प्रसाद शास्त्री महाविद्यालय
सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(41) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	एम.ए. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध - समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं हिन्दी-60-60सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव 15/02/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

15/02/2022

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/50

रीवा दिनांक : 21-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
विन्ध्य कालेज आफ एजुकेशन
कल्याणपुर, शहडोल (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(47) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. पाठ्यक्रम (दो वर्षीय)-100सीट।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/91

रीवा दिनांक : 21-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
विधि महाविद्यालय
सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(29) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –


क्र.	कक्षा/विषय
1	एलएल.बी. (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-बी.सी.आई. द्वारा निर्धारित सीट संख्या मान्य।

नोट –

1. बी.सी.आई. की मान्यता सत्र 2021-2022 तक की प्रस्तुत करें। बी.सी.आई. की मान्यता के अभाव में छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर होने वाली वैधानिक कठिनाइयों के लिये महाविद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।
2. मूट कोर्ट को उन्नत करें।
3. पुस्तकालय एवं अध्यापन कक्ष की समुचित व्यवस्था करें।


उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार


कुलसचिव 21/02/22
स

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव – परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
3. सिस्टम इंजार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)
21/02/22

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/93

रीवा दिनांक : 22-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
गीता ज्योति बी.एड. कालेज, किटवरिया
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(04) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष-50सीट।

नोट -

1. एन.सी.टी.ई. नार्म्स/कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. प्रयोगशाला को उन्नत करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव 21/2/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/94

रीवा दिनांक : 22-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
मौ शारदा इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज
ककरा, अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(25) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.ए.बी.एड. प्रथम वर्ष (चार वर्षीय पाठ्यक्रम)-एक यूनिट-50सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. नवनिर्मित भवन में शिफ्ट करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव 21/02/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/95

रीवा दिनांक : 22-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
एम.एस.एम., मौहारी, कटरा,
जिला सतना (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(31) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -


क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष-50सीट।

नोट -

1. एन.सी.टी.ई. नार्स/कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।


उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार


कुलसचिव 21/02/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/96

रीवा दिनांक : 22-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
साई महाविद्यालय
विन्ध्यनगर, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(50) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.ए. भाग 1,2,3 - आधार पाठ्यक्रम, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल-60-60-60सीट।
2	बी.एससी. भाग 1,2,3 - भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र, गणित, कम्प्यूटर साइंस, माइक्रोबायलाजी, बायोटेक्नालाजी-60-60-60सीट
3	बी.काम. भाग 1,2,3 - निर्धारित विषय एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन, टेक्नेशन, एन्सोरेन्स-60-60-60सीट।
4	एम.एससी. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध - भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र-30-30सीट।
5	एम.काम. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध - समस्त अनिवार्य विषय-30-30सीट।
6	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-60-60-60सीट।
7	बी.एड. पाठ्यक्रम-100सीट।
8	एम.ए. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध - इतिहास, भूगोल-30-30सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. कम्प्यूटर लैब अपडेट करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/97

रीवा दिनांक : 22-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
शिवाजी शिक्षा महाविद्यालय
गायत्री नगर, अनन्तपुर, रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(06) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. पाठ्यक्रम (दो वर्षीय)-100सीट।

आदेशानुसार

कुलसचिव 21/02/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/98

रीवा दिनांक : 22-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

राजीव गांधी कालेज आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन एण्ड टेक्नालाजी
सतना (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(32) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - आधार पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर साइंस, भौतिकी, गणित, बायोटेक्नालाजी एवं बायोयुप-120-120सीट।
2	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - अनिवार्य विषय, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी, एन्सोरेन्स, मैनेजमेन्ट, अर्थशास्त्र-120-120सीट।
3	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - अनिवार्य विषय-120-120सीट।
4	एम.एससी. पूर्वाह्न/उत्तराह्न - बायोकेमेस्ट्री, बायोटेक्नालाजी-60-60सीट।
5	एम.काम. पूर्वाह्न/उत्तराह्न - समस्त अनिवार्य विषय-60सीट।
6	बी.बी.ए. भाग 1,2,3 - समस्त अनिवार्य विषय-120-120सीट।
7	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय वर्ष - माइक्रोबायलाजी (अतिरिक्त विषय)-120-120सीट।
8	बी.एससी. प्रथम वर्ष - बायोकेमेस्ट्री (अतिरिक्त विषय)-120सीट।
9	एम.एस्.डब्ल्यू-पूर्वाह्न/उत्तराह्न-150सीट।
10	बी.काम. आनर्स-प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-120-120सीट।
11	पी.जी.डी.सी.ए.-187सीट।
12	एम.एससी. पूर्वाह्न/उत्तराह्न कम्प्यूटर साइन्स-80सीट।
13	बी.ए. प्रथम, द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र-120सीट।

नोट -

1. प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय को समृद्ध करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

21/02/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इन्चार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/99

रीवा दिनांक : 22-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
श्री राजेन्द्र कटारे शिक्षा महाविद्यालय,
शहडोल (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(57) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. पाठ्यक्रम-100सीट।

नोट -

1. एन.सी.टी.ई. नार्म्स/कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करें।
3. प्रयोगशाला में समुचित उपकरणों की व्यवस्था करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव 21/02/22

स

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/100

रीवा दिनांक : 22-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
छत्रपति साहू जी बी.एड. महाविद्यालय
रतहरी, रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(05) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. पाठ्यक्रम समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।

नोट -

1. प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय को समृद्ध करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

21/02/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

21/02/22

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/101

रीवा दिनांक : 22-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
श्री साई शैलमंगलम कालेज
सिंगरौली (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(46) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-60-60-60सीट।
2	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं टेक्नोलॉजी-60-60-60सीट।
3	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, हिन्दी साहित्य-60-60-60सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. महाविद्यालय जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, उसकी मरम्मत करें।
3. फर्नीचर की संख्या में वृद्धि करें और पुराने बदलें।
4. पुराने कम्प्यूटर के स्थान पर कम से कम 10 नये कम्प्यूटर क्रय करें।
5. कम्प्यूटर की 200 पुस्तकें क्रय करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

21/02/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/102

रीवा दिनांक : 22-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
किस्टकुला मिशन कालेज
पतेरी, सतना (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(28) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम-100सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रनारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/ 103

रीवा दिनांक : 22-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
सानन्द मैनेजमेन्ट एण्ड कामर्स कालेज
विराट नगर, पतेरी, सतना (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(26) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -


क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, (अतिरिक्त विषय मात्र प्रथम वर्ष) कम्प्यूटर एप्लीकेशन-120सीट।
2	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, रसायनशास्त्र, गणित, भौतिकी, वनस्पतिशास्त्र, (प्राणिशास्त्र मात्र प्रथम वर्ष)-120सीट।
3	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय वर्ष-120सीट।
4	बी.काम. प्रथम वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-120सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. आवश्यक संसाधन यथा पुस्तकें, प्रयोगशाला की समुचित व्यवस्था करें।


उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,


कुलसचिव 21/2/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/104

रीवा दिनांक : 22-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
संस्कार विधि महाविद्यालय
अनूपपुर (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(48) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनिियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	एलएल.बी. (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - समस्त अनिवार्य विषय-160सीट।
2	एलएल.एम. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-60सीट।

नोट -

- बी.सी.आई. की मान्यता सत्र 2021-2022 तक की प्रस्तुत करें। बी.सी.आई. की मान्यता के अभाव में छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर होने वाली वैधानिक कठिनाइयों के लिये महाविद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।
- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार



कुलसचिव

21/02/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

- उप कुलसचिव - परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
- सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


21/02/2022
सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/107

रीवा दिनांक : 23-2-2022

प्रति,

प्राचार्य
श्री रामाकृष्णा कालेज आफ कामर्स एण्ड साइंस
सतना (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021-2022 बावत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 2(01) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र.	कक्षा/विषय
1.	एम.ए. पूर्वाह्न योगा-60सीट।
2.	एम.एससी. पूर्वाह्न बाटनी-50सीट।
3.	एम.एससी. पूर्वाह्न फिजिक्स-50सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत सम्बन्धित पाठ्यक्रम में शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. पाठ्यक्रम से सम्बन्धित उपकरणों की समुचित व्यवस्था करें।
3. पुस्तकालय में सम्बन्धित पुस्तकों की वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
4. उप कुलसचिव - परीक्षा।
5. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
6. वित्त नियंत्रक।
7. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
8. कुलपति जी के सचिव।
9. कुलसचिव के निज सहायक।
10. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/108

रीवा दिनांक : 22-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
आई.जी. युप आफ डिग्री कालेज, ग्राम पडेनिया,
जिला सिंगरीली (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(44) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनिियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, बायोटेक्नालाजी, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र-150सीट।
2	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अर्थशास्त्र, इतिहास-प्रतिसमूह-120सीट।
3	बी.काम. प्रथम, द्वितीय वर्ष समस्त, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन-प्रतिसमूह-120सीट।

नोट –

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करे।
2. प्रयोगशाला/ पुस्तकालय को उन्नत करें।
3. खेल मैदान विकसित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव – परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/110

रीवा, दिनांक : 24-2-2022

अधिसूचना

अमृतम् महाविद्यालय, रामपुर चौरासी, सतना के द्वारा सत्र 2020-2021 एवं 2021-2022 के लिए सम्बद्धता आवेदन तथा सम्बद्धता शुल्क की राशि रुपये 5,28,200/- (पांच लाख अट्ठाइस हजार दो सौ रुपये) मात्र नहीं जमा कराये जाने तथा सत्र 2021-2022 के लिए महाविद्यालय की अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण हेतु गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि निरीक्षण के समय महाविद्यालय बन्द पाया गया। साथ ही प्राचार्य का फोन भी बन्द रहा, ऐसी स्थिति में प्रकरण को विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(36) के निर्णयानुसार तथा माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, सत्र 2021-2022 से महाविद्यालय की अस्थायी सम्बद्धता समाप्त की जाती है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. अध्यक्ष/प्राचार्य, अमृतम् महाविद्यालय, रामपुर चौरासी, सतना।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसचिव, परीक्षा, प्रशासन विभाग।
7. सहायक कुलसचिव - गोपनीय, अकादमिक।
8. वित्ताधिकारी।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्त महाविद्यालय में उपर्युक्तानुसार संचालित कक्षा/पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट से हटाया जाय।
10. सम्पादक महोदय, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नवभारत, नवस्वदेश, विन्ध्य भारत की ओर भेजकर निवेदन है कि अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
11. कुलपति जी के सचिव
12. कुलसचिव के निज सहायक।
13. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/111

रीवा दिनांक: 24-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
श्री मोहनलाल कालेज आफ आर्ट्स, साइन्स एण्ड मैनेजमेन्ट
विरसिंहपुर, जिला सतना (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(16) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-60सीट।
2	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-आधार पाठ्यक्रम, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, कम्प्यूटर-180सीट।
3	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, बाटनी, कमेस्ट्री, कम्प्यूटर, गणित-120सीट।
4	पी.जी.डी.सी.ए.-100सीट।
5	एम.एस.डब्ल्यू. पूर्वार्ध/उत्तरार्ध-100सीट।
6	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय वर्ष (अतिरिक्त विषय) बायोटेक्नालाजी-120सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शेष शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. पुस्तकालय को समृद्ध करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

22/02/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/112

रीवा दिनांक : 24-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
श्री राम बी.एड. कालेज
रीवा, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(13) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. पाठ्यक्रम समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था करें।
3. क्रीडांगन की व्यवस्था करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/114

रीवा दिनांक : 25-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
अमृत शिक्षा महाविद्यालय, बरगवा
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(45) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. पाठ्यक्रम समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।
2	बी.ए.बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम-एक यूनिट-50सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करे।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव 25/02/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)
25/02/2022

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/115

रीवा दिनांक : 25-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
अमृत विद्यापीठ बी.एड. कालेज
गहिलगढ़, विन्ध्यनगर, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(49) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - समस्त अनिवार्य विषय-100-100-100सीट।
2	बी.एड. पाठ्यक्रम समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

25/02/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/116

रीवा दिनांक : 25-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
महारानी लक्ष्मीबाई कालेज आफ टेक्नालाजी
रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(07) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनिियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-120-120सीट।
2	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-120-120सीट।
3	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष प्लेन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन (अतिरिक्त विषय)-120-120सीट।
4	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन-120-120सीट।
5	एम.एस.डब्लू. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-150सीट।
6	पी.जी.डी.सी.ए.-125सीट।
7	बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भौतिकी, गणित, रसायन, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन-120-120सीट।
8	एम.एस.सी. पूर्वाह्न/उत्तराह्न कम्प्यूटर साइन्स-60-60सीट।
9	एम.काम. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-60-60सीट।
10	एम.ए. पूर्वाह्न/उत्तराह्न अर्थशास्त्र-80सीट।
11	बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय वर्ष (अतिरिक्त विषय) बाटनी, जुलाजी-120-120सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. विज्ञान विषयों की प्रयोगशालाओं को उन्नत करें।
3. पुस्तकालय में विषयवार पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

24/02/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिसटम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/117

रीवा दिनांक : 25-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
मारुति कालेज आफ एजुकेशन
महदेवा, सतना (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(17) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष-100सीट।

आदेशानुसार

कुलसचिव 24/02/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/118

रीवा दिनांक : 25-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
धर्मराजेश्वर कालेज
बेला, जिला सतना (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(21) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.काम. प्रथम वर्ष अतिरिक्त विषय कम्प्यूटर एप्लीकेशन-60सीट।
2	बी.ए. प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, भूगोल-60सीट।
3	बी.एड. पाठ्यक्रम (दो वर्षीय)-50सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शेष शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

24/02/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

25/02/2022

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/ 115

रीवा दिनांक : 25-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
डी.एस. महाविद्यालय
झोपा, जिला सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(38) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. पाठ्यक्रम (दो वर्षीय)-100सीट।

नोट –

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करे।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करे अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव – परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/120

रीवा दिनांक : 25-2-2022

प्रति,

प्राचार्य

शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय
रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020-2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-3/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णयानुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एससी. भाग 1,2,3 - भौतिकी, रसायन, प्राणिविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान, गणित एवं आधार पाठ्यक्रम।

आदेशानुसार,

Wais
25/2/22
कुलसचिव
अ.प्र.

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा, गोपनीय।
2. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
4. कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक।

Amu
25/2/22
सहायक कुलसचिव (विकास)
अ.प्र.

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/121

रीवा दिनांक : 28-2-2022

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
एन.आई.सी.टी. महाविद्यालय
विलौजी, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(43) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -


क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - प्लेन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं टेक्नोलॉजी (अतिरिक्त विषय)-120-120-120सीट।
2	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - समस्त अनिवार्य विषय-120-120-120सीट।
3	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - आधार पाठ्यक्रम, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर-120-120-120सीट।
4	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, बाटनी, कमेस्ट्री, जुलाजी, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर साइंस, गणित, भौतिकी-प्रति समूह 120सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करे।
2. विज्ञान प्रयोगशालाओं और पुस्तकालय को और समृद्ध करे।


उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार


कुलसचिव 24/02/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंजार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)